

उनवान संख्या

15/15

पीठासीन अधिकारी - मनमोहन मीना (R.A.S.)

तारीख दायरा

15.09.2015

तारीख फैसला

04.09.2017

उनवान

रघुनाथ पुत्र भैरिया जाति माली निवासी सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा

- प्रार्थी

बनाम

1. बद्रीलाल पुत्र ग्यारसीराम
2. प्रभूलाल पुत्र ग्यारसीराम जाति माली निवासीगण सुल्तानपुर भौरा रोड तहसील दीगोद जिला कोटा
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद, कोटा

- प्रतिपक्षीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट

उपस्थित - श्री रामबाबू दाधीच, श्री वी०के०सक्सेना एडवोकेट प्रार्थी की ओर से  
- श्री प्रमोद चौधरी, श्री छीतरलाल गोचर एडवोकेट प्रतिपक्षी नं० 1 व 2 की ओर से

आदेश

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र विरुद्ध प्रतिपक्षीगण अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट, इस कथन के साथ पेश किया कि ग्राम सुल्तानपुर तहसील दीगोद में ख०नं० 1828 रकबा 0.02 हे० भूमि स्थित है जो प्रार्थी व अन्य सहखातेदारान के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उपरोक्त वर्णित आराजी प्रार्थी व अन्य सहखातेदारान के मध्य हुये पारिवारिक सहमति व विभाजन में प्रार्थी को प्राप्त हुई है जिस पर प्रार्थी कदीमी समय से काबिज होकर उपयोग व उपभोग करता चला आ रहा है। उपरोक्त वर्णित भूमि ग्राम सुल्तानपुर में भौरा रोड स्थित है। जिसके एक ओर कोटा इटावा रोड है तथा दूसरी ओर भौरा रोड है, इस प्रकार उक्त भूमि चौराहे पर स्थित है जिसके दोनों ओर रोड है। प्रतिपक्षी नं० 1 व 2 ताकतवर व प्रभावशाली व्यक्ति है जो अपनी ताकत व राजनैतिक प्रभावशील होने के बल पर गरीब व्यक्तियों की

भूमि पर जबरन कब्जा कर लेते हैं। प्रार्थी की गरीबी व अशिक्षा का अनुचित लाभ उठाने के उद्येय से प्रतिपक्षीगण उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है तथा कब्जा कर स्थानीय ग्राम पंचायत के साथ मिलीभगत कर निर्माण कर भूमि की किस्म परिवर्तन करने पर आमादा है। जिन्हे रोकने हेतु प्रार्थी ने ग्राम पंचायत व प्रतिपक्षी नं० 3 को प्रार्थना पत्र दिया किन्तु प्रतिपक्षीगण के प्रभावशील होने के कारण प्रतिपक्षी नं० 3 द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की। प्रतिपक्षीगण का प्रार्थी की उक्त भूमि से कभी कोई वास्ता नहीं रहा है प्रतिपक्षी नं० 3 द्वारा किये गये सेटलमेंट कार्य के दौरान सेटलमेंट कर्मचारियों द्वारा हाल ख०नं० 1128 रकबा 0.02 हे० का गत ख०नं० 1170 से कायम किया है, हाल सेटलमेंट से पूर्व गत ख०नं० 1170 बिल्कुल ही चौराहे पर स्थित था जिस पर से रोड निकलने का मुआवजा भी प्रार्थी को प्राप्त हुआ है, इस प्रकार ख०नं० 1170 की भूमि हाल सेटलमेंट से बिल्कुल ही तिराहे पर स्थित थी जिस पर सेटलमेंट विभाग द्वारा त्रुटिपूर्ण व अवैधानिक रूप से प्रार्थी व अन्य सहखातेदारान को अनुचित नुकसान पहुंचाने की ध्येय से बाद सेटलमेंट कायम किये गये नक्शा ट्रेस में हाल ख०नं० 1828 को रोड से दूर दर्शा दिया जो त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है जिसे हर बार शिविर में तथा प्रतिवादी नं० 3 को दुरुस्ती हेतु अनेक बाद प्रार्थना पत्र दिये किन्तु प्रतिपक्षीगण द्वारा प्रार्थी के नक्शा ट्रेस को दुरुस्त नहीं किया गया जिसका अनुचित फायदा उठाकर प्रतिपक्षी नं० 1 व 2 प्रार्थी की जमीन पर कब्जा कर जबरन हथियाना चाहते हैं जिन्हे माननीय न्यायालय की सहायता से रोका जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थी प्रतिपक्षीगण की ताकत व तानाशाही का सामना करने में असमर्थ है इस कारण प्रार्थी के पास अन्य कोई विकल्प नहीं होने से प्रार्थी के लिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। प्रार्थी का प्रकरण प्रथम दृष्ट्या ठोस तथ्यों पर आधारित है तथा सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। प्रतिपक्षीगण द्वारा जबरन कब्जा कर प्रार्थी को बैदखल कर दिया तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी तथा अनेक वाद विवादों में फसना पड़ेगा जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से नहीं हो सकेगी।

प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थी ने निवेदन किया है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विरुद्ध प्रतिपक्षीगण स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वह ताफैसला वाद प्रार्थी का ग्राम सुल्तानपुर तहसील दीगोद स्थित प्रार्थी के कब्जे काशत व खातेदार की ख०नं० 1828 रकबा 0.02 हे० पर से बैदखल नहीं करें तथा उपयोग व उपभोग में बाधा व हस्तक्षेप नहीं करें ऐसा कृत्य न तो स्वयं करें और न अपने

किसी प्रतिनिधि से ही करावें। अन्य न्यायोचित सहायता भी प्रार्थी को प्रतिपक्षीगण से प्रदान फरमाई जावें।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिपक्षीगण को तलब किया गया। प्रतिपक्षी नं० 1 व 2 ने जवाब जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार कर विशेष आपत्तियों में कथन किये कि प्रार्थी ने तथ्यों को छिपाकर गलत व असत्य तथ्य अंकित करके वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया है जो चलने योग्य नहीं है। प्रार्थी ने अपने वाद व प्रार्थना पत्र में यह कथन किया है कि ख०नं० 1828 रकबा 0.02 हे० भूमि गत ख०नं० 1170 से बना है तथा ग्राम पंचायत सुल्तानपुर में प्रार्थी ने दिनांक 28.08.2015 को एक आवेदन पत्र पेश कर कथन किया है कि ख०नं० 1170 की भूमि पुश्तेनी है जिसमें से पी०डब्ल्यू०डी० विभाग द्वारा रोड बनाने के बाद शेष भूमि ख०नं० 1170 पुराने है जिसके नये ख०नं० 1828 रकबा 0.02 हे० है तथा 0.02 बिस्वा में से 1 बिस्वा पर पुश्तेनी दुकानें बनी हुई है। शेष भूमि बची हुई है। जिस पर निर्माण करना चाहता है। वास्तविकता यह है कि पुराने ख०नं० 1170 का रकबा 1 बिस्वा था जो कोटा इटावा रोड पर भौरा रोड से हटकर स्थित था। किन्तु प्रार्थी ने सेटलमेंट विभाग से मिली भगत कर जो 0.01 हे० से भी कम होता है के स्थान पर 0.02 हे० दर्ज करवा लिया और उसमें भी कोटा इटावा रोड में भूमि अवाप्त किये जानें व उसका मुआवजा प्राप्त करने के पश्चात् कोटा इटावा रोड पर प्रार्थी ने दुकानें बना रखी है और अब प्रार्थी प्रतिपक्षी नं० 1 के खातेदारी की भूमि ख०नं० 1827 की भूमि को अपनी भूमि बनाकर कब्जा करने के प्रयास में है जिसका उसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यंहा यह लिखना अनुचित नहीं होगा कि 1 बिस्वा में 871-2 वर्गफीट भूमि होती है तथा 0.01 हे० में 1089-0 वर्गफीट भूमि होती है। प्रार्थी अपनी एक बिस्वा के 871-2 वर्गफीट के स्थान पर 2178-0 वर्गफीट भूमि सेटलमेंट से मिली भगत कर दर्ज करवा ली तथा उसमें से भी भूमि रोड में अवाप्त हो गयी उसका मुआवजा प्राप्त कर लिया व शेष भूमि में दुकानें बना रखी है इस प्रकार कोई भूमि शेष नहीं बचती है। सेटलमेंट में भूमि अधिक दर्ज कराई गयी है जिसे कम किया जाना आवश्यक है। सेटलमेंट से पूर्व के नक्शों में प्रार्थी की भूमि कोटा-इटावा रोड पर भौरा चौराहे से हटकर स्थित थी तथा बाद सेटलमेंट भी प्रार्थी की भूमि कोटा-इटावा रोड पर स्थित है जंहा उसकी दुकानें बनी हुई है। प्रार्थी की भूमि कभी भी भौरा रोड पर स्थित नहीं रही है। प्रार्थी ने जो नक्शा सेटलमेंट का पेश किया है उसमें सेटलमेंट के कर्मचारी से हेरा फेरी करके पेश किया गया जिसके बाबत् आपत्ति करने पर उक्त नक्शा बदल दिया गया और प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नक्शा वर्तमान

में मौजूद नहीं है। इस कारण प्रार्थी उसके द्वारा प्रस्तुत नक्शे का लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है। पटवार मण्डल सुल्तानपुर द्वारा दिनांक 02.10.2015 को प्रतिपक्षी की भूमि के बाबत मौके की स्थिति की रिपोर्ट दी गई जिसमें यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि ख0नं0 1827 के समीप पश्चिम दिशा में ख0नं0 1828 की भूमि कोटा इटावा रोड पर है न कि भौरा रोड पर है। क्योंकि प्रतिपक्षी की ख0नं0 1827 की भूमि भौरा रोड पर है। प्रतिपक्षी नं0 3 द्वारा भी माननीय न्यायालय में जवाब पेश किया गया है उसमें जवाब में भी यह स्पष्ट कथन किया गया है कि पुराने ख0नं0 1170 के उत्तर में कोटा इटावा रोड है व भौरा रोड पर ख0नं0 1171 स्थित है जो ख0नं0 1170 के पूर्व में स्थित है। इससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थी की भूमि भौरा रोड पर स्थित नहीं है। उपरोक्त कथनों के आधार पर यह पूर्ण रूप से साबित है कि प्रार्थी की भूमि कोटा इटावा रोड पर स्थित है जिसमें दुकानें बनी हुई हैं व शेष कोई भूमि वहां स्थित नहीं है तथा प्रार्थी की भूमि भौरा रोड पर स्थित नहीं है। बल्कि भौरा चौराहे से हटकर कोटा रोड पर है। नजरी नक्शों के आधार पर व राजस्व व सेटलमेंट नक्शों के आधार पर प्रार्थी की भूमि भौरा तिराहा पर व भौरा रोड पर स्थित नहीं है बल्कि कुछ हटकर कोटा इटावा मार्ग पर स्थित है। पूर्व में भी बाबूलाल नामक व्यक्ति ने प्रतिपक्षी की भूमि पर अतिक्रमण किया जिसे प्रतिपक्षी की शिकायत व आवेदन पर पी0डब्ल्यू0डी विभाग द्वारा हटाया गया जा चुका है तथा अब प्रार्थी प्रतिपक्षी की उक्त भूमि को अपनी भूमि बताकर कब्जा करने पर आमादा है जिसका प्रार्थी को कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थी प्रतिपक्षी की भूमि पर जबरन कब्जा करने की नियत से वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज होने योग्य है। प्रार्थी व प्रतिपक्षी की भूमि आबादी भूमि के मध्य रोड के सहारे स्थित है और उक्त भूमि किसी भी प्रकार से कृषि उपयोग की भूमि नहीं है बल्कि आबादी में व्यावसायिक उपयोग की भूमि है तथा दोनों ही पक्षकारों ने पंचायत में निर्माण कार्य हेतु आवेदन किया हुआ है। इस कारण प्रस्तुत वाद व प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के श्रवण योग्य नहीं है। इस कारण भी प्रस्तुत वाद व प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। राजस्व रिकॉर्ड में ख0नं0 1828 की भूमि प्रार्थी के अलावा हेमराज, रामेश्वर, कन्याबाई, ज्याना बाई, ललिता बाई, सुमित्रा, द्रोपदी, मुस0 हरकू बाई, भंवरलाल, नारायणी, चन्दा, गणेशी, रामकंवरी व चतुर्भुज रामकल्याण तथा महावीर के नाम शामिल हैं। खतों में दर्ज है सहखातेदार को पक्षकार बनाये बिना वाद व प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। प्रार्थी को कोई वाद कारण पैदा नहीं हुआ है इस कारण वाद कारण के अभाव में प्रार्थी का वाद व प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। प्रार्थी ने वाद पेश करने से पूर्व प्रतिपक्षी राजस्थान

सरकार को नोटिस नहीं दिया है इस कारण बिना नोटिस दिये वाद व प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है तथा खाजि होने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

प्रतिपक्षी नं० 3 राजस्थान सरकार की ओर से प्रकरण में जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार किया जाकर, विशेष आपत्तियों में कथन किये कि भू-प्रबंध से पूर्व जमाबंदी अनुसार साबिक ख०नं० 1170 का रकबा 0.01 बिस्वा खातेदारी में जो कोटा इटावा सडक सीमा में आने के कारण अधिग्रहण की जाकर मुआवजा भुगतान किया जा चुका है, भू-प्रबंध विभाग की कथित लापरवाही के कारण साबिक ख०नं० 1170 रकबा 0.01 बिस्वा के नवीन ख०नं० 1828 बनाते हुए रकबा 0.01 हे० के स्थान पर 0.02 हे० दर्ज कर दिया यानी, किसी अधिकारिता के 0.01 हे० भूमि खातों में अधिक दर्ज कर दी गई है जो गलत है। इसलिए ख०नं० 1828 का रकबा 0.02 हे० के स्थान पर शुद्ध किये जानें एवं भूमि अधिग्रहण होकर राज्य सरकार द्वारा मुआवजा भुगतान कर दिये जानें से प्रार्थी के खातों से हटाकर महकमा पी०डब्ल्यू०डी० दर्ज किये जानें हेतु 136 का काउण्टर क्लेम वाद के साथ प्रस्तुत कर दिया गया है।

दस्तावेजी साक्ष्य में पक्षकारान् ने निम्न दस्तावेजात् प्रस्तुत किये—

1. फोटोप्रति प्रतिलिपि जमाबंदी भू-प्रबंध ग्राम सुल्तानपुर सं० 2013-32
2. फोटोप्रति प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम सुल्तानपुर सं० 2067-70 खाता नं० 391
3. फोटोप्रति प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम सुल्तानपुर सं० 2067-70
4. फोटोप्रति प्रतिलिपि नक्शा ग्राम सुल्तानपुर सन् 1980-81
5. फोटोप्रति प्रतिलिपि नक्शा ग्राम सुल्तानपुर सं० 2010-11
6. फोटोप्रति प्रतिलिपि मिलान क्षेत्रफल भू-प्रबंध सं० 2043-62
7. फोटोप्रति प्रतिलिपि मिलान क्षेत्रफल भू-प्रबंध सं० 2043-62
8. फोटोप्रति प्रतिलिपि निर्णय सहायक अभियंता दिनांक 01.06.89
9. फोटोप्रति प्रतिलिपि पत्र कार्यालय अधिशाषी अभियंता सा०नि०वि० जिला खण्ड कोटा
10. फोटोप्रति प्रतिलिपि परिवाद
11. फोटोप्रति प्रतिलिपि पत्र कार्यालय तहसीलदार दीगोद जिला कोटा
12. फोटोप्रति प्रतिलिपि तहरीर बाबत् कब्जा छोडने बाबूलाल

13. फोटोप्रति प्रतिलिपि रिपोर्ट पटवार मण्डल सुल्तानपुर दिनांक 02.10.15
14. फोटोप्रति प्रतिलिपि नक्शा ग्राम सुल्तानपुर ख0नं0 1170
15. फोटोप्रति प्रतिलिपि नक्शा ग्राम सुल्तानपुर सं0 2010-11
16. फोटोप्रति प्रतिलिपि नक्शा ग्राम सुल्तानपुर सन् 1980-81
17. फोटोप्रति प्रतिलिपि नक्शा ग्राम सुल्तानपुर सं0 2010-11
18. फोटोप्रति प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम सुल्तानपुर सं0 2067-70 खाता नं0 732
19. फोटोप्रति प्रतिलिपि मिलान क्षेत्रफल भू-प्रबंध सं0 2043-62
20. फोटोप्रति प्रतिलिपि जमाबंदी भू-प्रबंध ग्राम सुल्तानपुर सं0 2013-32
21. फोटोप्रति प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र बाबत् निर्माण की स्वीकृति नहीं देनें बाबत्
22. फोटोप्रति प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र बाबत् निर्माण की स्वीकृति देनें बाबत्
23. मौका रिपोर्ट दिनांक 20.07.2016
24. सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 02.07.2016
25. सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 27.12.2016

बाद साक्ष्य विद्वान् वकील उभयपक्ष की बहस सुनी। दौराने बहस विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थी तथा प्रतिपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र तथा जवाब के कथनों को दोहराया। दौराने बहस विद्वान् अधिवक्ता उभयपक्ष के कथनों पर विधि सम्मत विचार किया। पत्रावली का आद्योपान्त गहन मनन अवलोकन किया तथा प्रार्थी के द्वारा वॉच्छित रिलीफ पर भी सम्यक् मनन किया।

वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1828 रकबा 0.02 हैक्टर वर्तमान में प्रार्थी की संयुक्त सहखातेदारी भूमि राजस्व रिकॉर्ड में अंकित है। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी सेटलमेंट सं0 2013-32 का अवलोकन करने पर जाहिर आया कि साबिक ख0नं0 1170 रकबा 0.01 बिस्वा राजस्व रिकॉर्ड में अंकित है। जबकि हाल ख0नं0 1828 रकबा 0.02 हे0 दर्ज है। मौका रिपोर्ट दिनांक 27.12.2016 में तहसीलदार दीगोद द्वारा उल्लेखित किया गया है कि "साबिक ख0नं0 1170 का रकबा 0.01 बिस्वा भूमि थी, जिसके नवीन ख0नं0 1828 रकबा 0.02 हे0 बनाये गये हे, जो गलत है। इसमें नियमानुसार 0.01 हे0 ही रकबा बनाया जाना चाहिए था। इस प्रकार 0.01 हे0 रकबा बढ़ाया जाकर साबिक ख0नं0 1171 में आकृति बढ़ाई गई है। वर्तमान मौका साबिक ख0नं0 1170 व 1171 के अनुसार है। मौके पर विवाद साबिक ख0नं0 1170 रकबा 0.01 बिस्वा के रकबे को बढ़ाया जाकर 0.01 हे0 के

स्थान पर 0.02 हे० कर 0.01 हे० रकबा बढ़ाया जाकर साबिक ख०नं० 1171 में बढ़ा दी गई है।”

इस प्रकार गत एवं हाल खसरा नम्बरान् का मिलान करने पर हाल ख०नं० 1828 का रकबा 0.01 हे० दर्ज किया जाना चाहिए था, किन्तु बाद भू-प्रबंध ख०नं० 1828 का रकबा अनाधिकृत रूप से बिना किसी सक्षम आदेश के 0.02 हे० दर्ज कर दिया। भू-प्रबंध द्वारा की गई उक्त त्रुटि के आधार पर प्रार्थी को किसी भी प्रकार के कोई अधिकार बेशी रकबें पर प्राप्त नहीं हो सकते हैं। प्रार्थी के अधिकार मात्र साबिक रकबा तक ही सीमित है, न कि उस रकबे पर भी जो उसके खातों में अनाधिकृत रूप से दर्ज की गई है। अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण मात्र प्रार्थी के पक्ष में प्रकट नहीं होता है।

विवादित भूमि ख०नं० 1828 पर प्रार्थी काबिज है, मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की भूमि पी०डब्ल्यू०डी० द्वारा अधिग्रहित करने के पश्चात् शेष भूमि पर प्रार्थी काबिज है, बावजूद इसके प्रार्थी गत रकबे के मुकाबले हाल रकबे अनुसार मौके पर काबिज होना चाहता है। प्रार्थी को अनाधिकृत रूप से अपने खातों में आये रकबे पर किसी प्रकार के विधिक अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार के जवाब में भी उल्लेखित किया गया है कि “भू-प्रबंध से पूर्व जमाबंदी अनुसार साबिक ख०नं० 1170 का रकबा 0.01 बिस्वा खातेदारी में जो कोटा इटावा सडक सीमा में आने के कारण अधिग्रहण की जाकर मुआवजा भुगतान किया जा चुका है, भू-प्रबंध विभाग की कथित लापरवाही के कारण साबिक ख०नं० 1170 रकबा 0.01 बिस्वा के नवीन ख०नं० 1828 बनाते हुए रकबा 0.01 हे० के स्थान पर 0.02 हे० दर्ज कर दिया यानी, किसी अधिकारिता के 0.01 हे० भूमि खातों में अधिक दर्ज कर दी गई है जो गलत है।” उक्तानुसार प्रार्थी को अपने खातों में 0.01 हे० के स्थान पर 0.02 हे० रकबा दर्ज कर दिये जाने से उक्त बेशी रकबे पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो जाते हैं।

प्रार्थी उक्त विवादित ख०नं० का तन्हा खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, जबकि उक्त विवादित भूमि में अन्य सहखातेदारान् का भी हिस्सा निहित है। प्रार्थी ने स्वयं प्रार्थी की हैसियत से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जबकि सहखातेदारी भूमि के समस्त सहखातेदारान् को प्रकरण में आवश्यक पक्षकार बनाया जाना विधि अनुरूप है, जबकि प्रार्थी ने अन्य सहखातेदारान् को प्रकरण में आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया है। उक्त विवादित ख०नं० 1828 पर मात्र प्रार्थी का हक निहित नहीं है, प्रकरण में विवादित भूमि सहखातेदारी

की भूमि है जिस पर प्रत्येक सहखातेदार का हक व हिस्सा होता है। जिन्हे प्रकरण में सुना जाना अति आवश्यक है। सहखातेदारी की भूमि पर हर एक सहखातेदार का प्रत्येक इन्च भूमि पर कब्जा मानने की अवधारणा है। आर0आर0डी02000 पेज 28 में स्पष्ट उल्लेखित है कि " सुविधा संतुलन के लिये यह देखना होगा कि निषेधाज्ञा न देने से अधिक अनिष्ट व असुविधा होगी बनिस्पत निषेधाज्ञा जारी होने से "

इस प्रकार यदि प्रार्थी के कथनानुसार प्रतिपक्षीगण के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अन्य सहखातेदारान् को असुविधा होना तय है क्योंकि भूमि का विधिवत् विभाजन नहीं हुआ है। इस प्रकार सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं है।


विवादित भूमि पर प्रार्थी गत के मुकाबले हाल अधिक रकबे पर अनाधिकृत रूप से काबिज है, यदि उन्हे उक्त भूमि से बेदखल किया जाता है या तो अपरिमित क्षति प्रार्थी को होना संभाव्य नहीं है।

प्रार्थी को या प्रतिपक्षीगण को विवादित आराजी या उसके हिस्से पर क्या हक अख्यार है या होने चाहिये इसका विनिश्चय मूलवाद पर सम्यक् साक्ष्योपरान्त तथा सम्यक् विचारण उपरान्त विधि अनुसार मेरिट पर होना है न कि प्रार्थी के इस प्रार्थना पत्र के आधार पर। प्रार्थना पत्र के गुणावगुण पर विचार करने पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। दिनांक 15.09.2015 को जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा समाप्त की जाती है।

पत्रावली बाद तामील तकमील नम्बर से कम की जावे तथा निर्णीत में गणना की जाकर मूलवाद मिसल नम्बर 136/15 के साथ संलग्न रहै ।

निर्णय आज दिनांक 04/09/2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

  
(मनमोहन मीना)  
सहायक कलक्टर,  
दीगोद